बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

संख्या– व.सं. / 107 / 2019– 449

प्रेषक,

राकेश कुमार, भा०व०से०,
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०,
पटना।

पटना 14, दिनांक– 03/06/2021

विषय – बाँका जिलान्तर्गत पापहरणी झील, आकाश गंगा एवं मंदार पर्वत के विकास कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 0.405 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग – इस कार्यालय का पत्रांक 501 दिनांक 12.06.2020 (छायाप्रति संलग्न)।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में सूचित करना है कि विषयाधीन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/40869/2019/3977 दिनांक 30.05.2020 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन का अनुरोध इस कार्यालय के पत्रांक 501 दिनांक 12.06.2020 द्वारा किया गया था।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/40869/2019/3977 दिनांक 30.05.2020 के आलोक में इस कार्यालय के पत्रांक 501 दिनांक 12.06.2020 द्वारा शर्त्त सख्या 2 a and c एवं 3 के आलोक में कुल राशि रू० 18,65,711/– (रूपये अठारह लाख पैसठ हजार सात सौ ग्यारह) मात्र को मंत्रालय के वेब–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांसफर कर राशि जमा कराते हुए कंडिकावार (1–13) अनुपालन की मांग की गयी थी। **परन्तु सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन अद्यतन अप्राप्त है।**

3. उक्त राशि में शर्त संख्या 2 a and c के आलोक में क्षतिपूरक वनीकरण मद में कुल प्राक्कलित राशि रू० 16,12,181/– (रूपये सोलह लाख बारह हजार एक सौ इकासी) मात्र की राशि भी समाहित था जिसका आकलन तत्कालीन मजदूरी दर रू० 287/– प्रतिमानव दिवस पर किया गया था।

4. उल्लेखनीय है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिसूचनाओं के आलोक में वर्तमान मजदूरी दर रू० 304/– प्रतिमानव दिवस हो गया है।

5. इस कार्यालय के पत्रांक 501 दिनांक 12.06.2020 द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण मद में कुल प्राक्कलित राशि रू० 16,12,181/– (रूपये सोलह लाख बारह हजार एक सौ इकासी) मात्र के मांग पत्र को श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित वर्त्तमान मजदूरी दर रू० 304/– प्रतिमानव दिवस पर संशोधित करने पर रू० 17,07,678/– (रूपये सतरह लाख सात हजार छ: अठहत्तर) मात्र का आकलन किया गया है।

6. **उपर्युक्त CA एवं NPV मद की कुल राशि रू० 19,61,208/– (रूपये उन्नीस लाख इकसठ हजार दो सौ आठ) मात्र को मंत्रालय के वेव–साईट parivesh.nic.in से e-challan generate कर Bihar CAMPA के account में online Mode द्वारा फंड ट्रांस्फर कर राशि जमा कराई जाय।**

7. उक्त जमा की गयी राशि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, के e-portal पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा साथ ही साथ जमा की गयी राशि की सूचना हेतु इस कार्यालय को e-challan की मूल प्रति दी जाय।

8. निर्धारित अवधि में क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि जमा नहीं करने पर श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा समय–समय पर मजदूरी दर. में किये जाने वाले वृद्धि के फलस्वरूप क्षतिपूरक वनीकरण मद की राशि संभावित वृद्धि के साथ भुगतेय होगा।

9. उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक FP/BR/Others/40869/2019/3977 दिनांक 30.05.2020 (छायाप्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्त्तों का कंडिकावार अनुपालन समर्पित करने की कृपा की जाय ताकि प्रस्ताव पर भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति (Stage-II) प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

3.6.2021

(राकेश कुमार)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।